efUnj U;kl ekrk Jh cts'ojh nsoh th "dkxMk" fgekpy ins'k ds y[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k ifrosnu

vof/k 01@2011 ls 12@2011

1 ikjfEHkd %&

¼d½ हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः भाषा(ए)3–3/85, दिनांक 17.1.1989 द्वारा मन्दिरों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेष्वेरी देवी जी "कांगड़ा" के अवधि 01/11 से 12/11 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

¼[k½ vads{k.kk/khu vof/k esa efUnj U;kl esa fuEufyf[kr efUnj vf/kdkjh dk;Zjr jgs%&

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री दीप राज	1.1.11 से 6.1.11
1	श्री राम जीत सिंह	7.1.11 से 28.4.11
2	श्री पवन भडियाल	29.4.11 से 31.12.11

¼x½ vads{k.kk/khu vof/k 4@2011 ls 3@2012 ds vads{k.k esa ik;h xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj

Øe la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1	दुकानों/भवनों के किराए के रूप में वसूल की जानी वाली राषि का षेष पाया जाना	7	1.58
2	ठेकेदार को अधिक भुगतान	11	0.06
3	गौ सदन के निर्माण पर खर्च करने पर भी इसका प्रयोग न करने बारे	13	27.95
4	कालातीत जमानत राषि को जब्त करके मन्दिर न्यास के खाते में जमा न करने बारे	14	0.33

5	सेन्ट्रल पूल हेतु राषि जारी करने बारे	15	3.50

¼?k½ <u>xr vad{k.k ifronu</u> ½&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई/सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण पर समीक्षा की गई। मन्दिर प्रषासन द्वारा सभी बकाया पैरों पर सन्तोषजनक कार्रवाई न किए जाने के कारण केवल 26 पैरों का वर्तमान अंकेक्षण कें दौरान निपटारा किया जा सका। यह तथ्य उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्ष दिया जाता है कि षेष पुराने लम्बित पैरों पर षीध्र उचित कार्रवाई की जाए ताकि उनका निपटारा भी सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

vad{k.k ifronu vof/k 04-11-86 l 31-12-98

पैरा–3 (क) (1 से 48)	अनिर्णीत	(मुख्य रोकड़ वही में जमा/घटाने बारे)
पैरा–3 (ख) (1 से 5)	अनिर्णीत	
पैरा–3 (ii) (क) (ख)	अनिर्णीत	(सोना चांदी के विवरण बारे)
पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–5 (iii) (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत	
पैरा–5 (v) (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–5 (vi)	अनिर्णीत	(दान दिए गए सामान का स्टॉक रजिस्टर न बनाने बारे)
पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत	
पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत	(अग्रिम ₹68800/–के समायोजन का रिकार्ड न दिखाना)
पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत	(अग्रिम ₹68800/–के समायोजन का रिकार्ड न दिखाना)
पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	(बेची गई चांदी 36.800 ग्राम की रसीद न दिखाना)
पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	(चांदी को कम दर्षाया जाना)
पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	(जारी की गई चांदी के बने सामान की प्रविष्टि स्टॉक

		रजिस्टर में न करना)
पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	(नीलामी रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर मे ंचांदी की मात्रा में भिन्नता)
पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	(चांदी की सिल्लिया बनाने उपरान्त बजन में कमी को सत्यापित न करवाने बारे)
पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	(चांदी की नीलामी बारे)
पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	(मूर्तियां बनाने के लिए जारी किए गए सोने की रसीद न दिखाने बारे)
पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	(चार्ज देते समय सोने की गिनती/स्टॉक को न लिया जाना)
पैरा–8 (क) (i) (क से झ)	अनिर्णीत	(मुख्य रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी में अन्तर)
पैरा–8 (क) (ii से vii)	अनिर्णीत	(रोकड़ वही व बैंक खातों से निकाली गई राषियों में अन्तर)
पैरा–8 (ख) (i से v)	अनिर्णीत	(लंगर रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी में अन्तर)
पैरा–10 (क) (ख)	अनिर्णीत	(हस्तगत राषियों का अस्थाई दुर्विनियोजन)
पैरा–11 (i)	अनिर्णीत	(निर्माण कार्यो का रिकार्ड न दिखाने बारे)
पैरा–11 (iii) (क)	अनिर्णीत	(निर्माण कार्य का पूरा न किया जाना)
पैरा–11 (iii) (ख)	अनिर्णीत	(निर्माण कार्य हेतु खरीदे गए सामान का रिकार्ड प्रस्तुत न करने बारे)
पैरा–13 (क)(i) (ए, बी)	अनिर्णीत	
पैरा–13 (क)(ii) (ए, बी)	अनिर्णीत	(भुगतान से सम्बन्धित बिल न दिखाने बारे)
पैरा–13 (क)(iv, v)	अनिर्णीत	
पैरा–13 (क)(xi)	अनिर्णीत	
पैरा–13 (ख)(v)	अनिर्णीत	(₹4595 के क्रय किए गए सामान का अभिलेख न दिखाने बारे)
पैरा–13 (ख)(vi)	अनिर्णीत	(₹1009.15 के भुगतान सम्बन्धी वाऊचर न दिखाने बारे)
पैरा–13 (ख)(ix)	अनिर्णीत	(₹44150 के क्रय किए गए सामान का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे)
पैरा–13 (ख)(x) (ए, बी)	अनिर्णीत	(₹7779/– के पुराने नोटो को बदलने के लिए कमीषन

		देने बारे)
पैरा–13 (ख)(xi)	अनिर्णीत	(₹30000/–के भुगतान का अभिलेख प्रस्तुत न करना)
पैरा–14 (ख)(iii)	अनिर्णीत	(रसीद बुको से प्राप्त आय व रसीद बुक न दिखाने बारे)
पैरा–14 (ख)(iv)	अनिर्णीत	(₹21000/–के चैक को रोकड़ वही में दर्ज न करने बारे)
पैरा–14 (vi)(ङ)	अनिर्णीत	(₹12900 कम किराये की वसूली बारे)
पैरा–14 (viii)	आंशिक निर्णीत	
पैरा–14 (xiv)	अनिर्णीत	
पैरा–14 (xvii) (क से च)	अनिर्णीत	
पैरा–14 (xviii)	अनिर्णीत	

vad{k.k izfrosnu vof/k 1@99 ls 12@99

पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(₹16486.77/–की वित्तीय स्थिति में अन्तर)
पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(₹22081.80 की वित्तीय स्थिति में अन्तर)
पैरा–5 (ग)	आंशिक निर्णीत	(मै0 कटारिया बिल्डर पठानकोट द्वारा चैक सं0 1191862 दिनांक 8.02.09 में जमा ₹28000/–देख ली है)
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(ठेकेदारों के बिलों मे से आयकर व बिक्री कर न काटने बारे)
पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	(वाउचरों का प्रस्तुत न करना)
पैरा–9 (छ)	निर्णीत	(समायोजन देख लिया गया)
पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	(₹100000/– का कार्य बिना औपचाकिताएं पूर्ण करके करवाने बारे)
पैरा–14	अनिर्णीत	(रसीद बुकों का प्रस्तुत न किया जाना)

vad{k.k izfrosnu vof/k 1@2000 ls 12@2000

पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(मुख्य रोकड़ वही की वित्तीय स्थिति में ₹26485.23 के अन्तर बारे)

पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(लंगर रोकड़ वही में वित्तीय स्थिति में ₹22427/–के अन्तर बारे)
पैरा–6 (3)	आंशिक निर्णीत	(श्री अष्वनी कुमार से ₹16500/–दुकान किराए की वसूली बारे)
पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	(₹7356/– काम न्दिर अधिकारी को अनुचित प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान बारे)
पैरा–9 (क)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली है)
पैरा–10	अनिर्णीत	(500 ग्राम चांदी का स्टॉक रजिस्टर में न लिया जाना)
पैरा–11 (क, ख)	आंशिक निर्णीत	(षेष अग्रिम राषियों के समायोजन हेतु तुरन्त उचित कार्रवाई अपेक्षित है)
पैरा–13	अनिर्णीत	(यात्री सदन के किराए की ₹1340/–की कम वसूली बारे)
पैरा–14	अनिर्णीत	(वास्तविक रसीदों को न प्रस्तुत करना)

vid{k.k ifrounu vof/k 1@2001 ls 12@2002

पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर बारे)
पैरा–5 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	(निवेषित करने के लिए कम सोना देने बारे)
पैरा–6 (क से च)	अनिर्णीत	(₹54730/– के निर्माण कार्य बारे)
पैरा–7 (1, 2)	अनिर्णीत	(₹4175/– के निर्माण कार्य बारे)
पैरा–8 (क से ङ)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (क से ग)	अनिर्णीत	(ठेकेदारों से आयकर एवं बिक्री कर न काटने बारे)
पैरा–10	अनिर्णीत	(ठेकेदारों से ₹11573/–आर्थिक दण्ड के रूप में न काटने बारे)
पैरा–11	अनिर्णीत	(निर्माण कार्यो का माप पुस्तिका में दर्ज न करने बारे)
पैरा–12 (क, ख)	अनिर्णीत	(निर्माण कार्यो को दिए अग्रिमों का रिकार्ड न किया जाना)
पैरा–13 (क से ग)	अनिर्णीत	(रोकड़ वही सत्यापित न करवाने बारे)

पैरा–14	अनिर्णीत	(प्रतिनियुक्ति भतो की ₹14700/–की अनुचित अदायगी बारे)
पैरा–17 (क से ग)	अनिर्णीत	(सोना चांदी तोल मषीन की खरीद पर ₹3305/– के अधिक भुगतान बारे)
पैरा–20 (क से ग)	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली गई है)
पैरा–22	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली गई है)
पैरा–23 (क, ख)	अनिर्णीत	(खरीदे गए सामान की स्वच्छ प्राविष्टियों न करने बारे)

vkd{k.k ifrosnu vof/k 1@2003 ls 12@2004

पैरा–11	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति देख ली गई है)
पैरा–17	अनिर्णीत	(मन्दिर निधि से अनियमित व्यय बारे)
पैरा–20 (क, ख)	अनिर्णीत	(वेतन एवं यात्रा भता के भुगतान बारे)
पैरा–21	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति देख ली गई है)
पैरा–22	निर्णीत	(रिकार्ड देख लिया है)
पैरा–25	निर्णीत	
पैरा–28	निर्णीत	

vkd{k.k ifrosnu vof/k 1@2005 ls 12@2005

पैरा–13	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)
पैरा–14	अनिर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे)

vkd{k.k ifrosnu vof/k 1@2006 ls 12@2007

पैरा–16	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)
पैरा–17	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
पैरा–19	आंशिक निर्णीत	

vd{k.k ifronu vof/k 1@2008 l 12@2009

पैरा–4	अनिर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर)
पैरा–6 (क) (1) (2)	अनिर्णीत	(सोने में अन्तर)
पैरा–11	अनिर्णीत	(₹5700/–की सराय के किराए के रूप में कम वसूली बारे)
पैरा–13	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)
पैरा–16	निर्णीत	(स्वीकृति व कार्रवाई देख ली है)
पैरा–18 (क, ख, ग)	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
पैरा–19	निर्णीत	
पैरा–22	अनिर्णीत	

vd{k.k ifronu vof/k 1@2010 l 12@2010

पैरा–4	अनिर्णीत	(वित्तीय स्थिति में अन्तर)
पैरा–6 (क) (1, 2)	अनिर्णीत	(सोने में अन्तर)
पैरा–7	निर्णीत	(इस पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
पैरा–8	निर्णीत	(वसूली देख ली है)
पैरा–9	अनिर्णीत	(वेतन के रूप में ₹59883/–के अधिक भुगतान बारे)
पैरा–10	अनिर्णीत	(₹790626/–की अनाधिकृत सुविधा देने बारे)
पैरा–11	अनिर्णीत	(निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं)
पैरा–12 (क)	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)
पैरा–12 (ख)	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)
पैरा–13	निर्णीत	(वसूली देख ली है)
पैरा–14	निर्णीत	(निविदाएं देख ली है)

पैरा–15	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली है)
पैरा–16	निर्णीत	(बिल प्रस्तुत कर दिया है)
पैरा–17 (क)	निर्णीत	(₹80/–की वसूली कर ली है)
पैरा–17 (ख)	निर्णीत	(स्वीकृति देख ली गई है)
पैरा–18	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल हेतु ₹3/– लाख जारी करने बारे)

2 orleku vid{k.k%&

मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेष्वरी देवी जी कांगड़ा के अवधि 1/2011 से 12/2011 का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री मुकेष कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 07.06.12 से 4.09.12 के दौरान मन्दिर न्यास के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया।

विस्तृत जांच हेतु माह चयनित किए गएः–

Pk;fur ekl ¼vk;½	Pk;fur ekl ¼O;;½
4/11	4/11

यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के लेखाओं का अंकेक्षण मन्दिर न्यास द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी भी अधूरी एवं अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 vid{k.k 'kYd%&

मन्दिर न्यास के वर्तमान लेखो के अंकेक्षण हेतु का अंकेक्षण षुल्क ₹18600/– (अठारह हजार छः सौ) आंका गया है। अंकेक्षण षुल्क की उक्त राषि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर प्रषासन द्वारा ड्राफ्ट संख्या 433457 दिनांक 1.10.12 निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 foŸkh; fLFkfr%&

¼d½ अंकेक्षण अवधि 1/2011 से 12/11 के दौरान मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेष्वरी देवी जी कांगड़ा की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिषिष्ट "क–1" तथा "क–2" में भी दिया गया है।

प्रारम्भिक षेष	20258247-31
चढ़ावा	23013332.15
अन्य आय	9989750.00
ब्याज	1763876.00
अनुदान	–
;kx	55025205-46
व्यय	31771314.00
अन्तषेष	23253891-46
दिनांक 31.12.11 को रोकड़ वही पृष्ठ 134 में अन्तिम षेष	23230079.74
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति में अन्तर	(+) 23811.72
tkM+	23253891-46

¼[k½ foŸkh; fLFkfr esa ₹23811@&dk vUrj

वित्तीय स्थिति में ₹23811.72/–का अन्तर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005 ले लगातार चला आ रहा है परन्तु इस अन्तर की राषि के मिलान के लिए मन्दिर प्रषासन द्वारा वर्तमान अंकेक्षण तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्ष दिया जाता है कि उक्त अन्तर की राषि के लिए अविलम्ब उचित पग उठाए जाएं ताकि मन्दिर की वित्तीय स्थिति को सही रूप मे ंप्रस्तुत किया जा सके।

¼x½ fnukd 31-12-11 dk cd e tek jkf’k dk fooj.k&

Ø0 l0	[kkrk l0 o cd dk uke	jkf’k
1	0133743 (हिमाचल ग्रामीण बैंक)	1236491.59
2	2001381 (कांगड़ा सैन्ट्रल बैंक)	2392.00
3	0001372 (बैंक आफ बडौदा)	10953.00
4	10551097067 (स्टेट बैंक आफ इंडिया)	77136.00
5	45000088 (एच0डी0एफ0सी0)	27390.15
6	890121423 (सिडीकेट बैंक)	5583.00
7	निवेशित राषि	21690441.00
8	हस्तगत राषि	600.00
	tkM	23050986-74

¼?k½ cd l ek/kku foojf.kdk&

fnukd 31-12-11 dk jkdM ogh vu lkj 23230079-74

Add चैक जो जारी किए गए परन्तु 31.12.11 तक भुनाए नहीं गए

fnukd	pd l0	Qe dk uke	jkf'k
9.12.11	474069	सिल्वर जुबली टांडा	6000
22.12.11	474534	श्री ओम प्रकाष	11365
26.12.11	474536	श्री भूषण प्रकाष	12268
26.12.11	474545	श्री ओम प्रकाष	10237
28.12.11	474540	श्रीमति सरोज कुमारी	10341

tkM	50211	¼$½50211-00

Less	चैक प्राप्त किए परन्तु 31.12.11 तक बैंक में जमा नहीं हुए			
fnukd	pd l0	Qe dk uke	jkf'k	
29.12.11	890141	–	133235	
28.12.11	179322	–	42821	
28.12.11	016000	–	53248	
			229304	¼&½ 229304-00
	बैंक के अनुसार षेष दिए गए विवरण			₹23050986.74

¼3½ वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित परिषिष्ट "क–1" के अनुसार गोलक में आय ₹23013332.15/–, अन्य आय 9989750/– तथा ब्याज के रूप में आय ₹1763876.00 आय दर्षाई गई है। परन्तु परिषिष्ट "क–2" में ब्याज की आय ₹1735422/– दर्षाई गई है तथा गोलक से आय एवं अन्य आय का योग ₹33031536.'15/–दर्षाया गया। अतः उक्त परिषिष्ट में गोलक/अन्य आय तथा ब्याज की आय की भिन्नता के कारण स्पष्ट किए जाएं।

5 fuos'k&

मन्दिर न्यास द्वारा परिषिष्ट "ख" के अनुसार 31.12.11 को ₹21690441/–सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैंकों में निवेषित थी जिसे निर्धारित तिथियों पर खातों में डालना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा अपेक्षित राषि पुर्ननिवेष किया जाए ताकि सावधि जमा की स्थिति में अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके।

6 lksus rFkk pkanh dh fLFkfr%&

अंकेक्षण अवधि 1/2011 से 12/2011 के दौरान सोने तथ चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः—

¼d½ lksuk%&

fooj.k	fd0xk0	Xkk0	fe0xk0
प्रारम्भिक षेष	28	568	535
वर्ष 2011 में प्राप्ति	—	933	590
;ksx	29	502	125

	fd0xk0	Xkk0	fe0xk0
दिनांक 31.12.11 को स्टॉक में जितना सोना होना चाहिए था	29	502	125
दिनांक 31.12.11 को स्टॉक में सोना था	26	715	845
अन्तर (—)	02	786	280

उपरोक्त अन्तर (02 कि0ग्रा0 786 ग्राम 280 मि0ग्रा0) निम्न कारणों से थाः—

¼i½ xksYM ckaM gsrq LVkWd ls fudkys x, lksus rFkk cSad }kjk ikIr lksus esa vUrj%&

	fd	xk0	fe0xk0
02.05.02 को गोल्ड बान्ड हेतु स्टॉक से निकाला गया सोना	13	256	820

दिनांक 3.05.02 को बैंक द्वारा प्राप्त सोना	12	348	380
अन्तर (–)	00	908	440

अतः यह स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से बैंक द्वारा 908 ग्राम 440मि0ग्रा0 सोना कम प्राप्त किया गया

¼ii½ cd }kjk xkYM ckM grq ikIr lku rFkk cd }kjk tkjh 'k) lku d ckM e vUrj¼&

	fd	xk0	fe0xk0
उक्त (i) के अनुसार दिनांक 3.05.02 को बैंक द्वारा प्राप्त सोना	12	348	380
बैंक द्वारा जारी सोने का ब्रांड	10	471	810
अन्तर (–)	1	876	570

इस प्रकार बैंक द्वारा 1 किलो 876 ग्राम 570 मि0ग्रा0 की कम मात्रा के षुद्ध सोने के बान्ड जारी किए गए परन्तु सोने की षुद्धीकरण के कारण निकली/प्राप्त अषुद्ध धातुओं का ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में षुद्ध सोने के बान्ड की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी। अतः 1 कि0 876ग्रा0 570मि0ग्राम सोने की कमी का पूर्ण ब्यौरा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि बान्ड की पुष्टि की जा सके। उपरोक्त (i) तथा (ii) में वर्णित सोने की मात्रा के अन्तर को गत वर्षों से अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित किया जा रहा है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इसके मिलान के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उक्त अन्तरों की मन्दिर न्यास स्त्तर समीक्षा करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाय जाए।

¼iii½ lku dh ek=k dk LVkd jftLVj e de ntZ djuk¼&

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि में दिनांक 16.12.11 को मुख्य गोल्क से प्राप्त 1 ग्रम 270 मि0ग्राम0 सोने को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जोकि बाद में आडिट द्वारा आपति उठाने पर दिनांक 29.06.12 को आडिट के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है। इस उपरोक्त (i) तथा (ii) के अतिरिक्त वर्तमान अंकेक्षाधीन अवधि के अन्त में दिनांक 31.12.11 को 1 ग्राम 270 मि0ग्रा0 सोने का भी अन्तर रहा। इस प्रकार दिनांक 31.12.2011 को सोने का कुल अन्तर निम्न प्रकार से रहाः–

Ø0 l0	fooj.k	fd0	xk0	fe0xk0
(i)	गोल्ड बांड हेतु स्टॉक से निकाले गए सोने तथा बैंक द्वारा प्राप्त सोने में अन्तर	0	908	440
(ii)	बैंक द्वारा गोल्ड बांड हेतु प्राप्त सोने तथा बैंक द्वारा जारी षुद्ध सोने के बांड में अन्तर	1	876	570
(iii)	सोने की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज करना	0	001	270
	;kx	2	786	280

¼[k½pknh&

fooj.k	fd0xk0	Xkk0	fe0xk0
प्रारम्भिक षेष	977	517	460
वर्ष 2011 में प्राप्ति	60	989	020
;kx	1038	506	480
दिनांक 31.12.11 को स्टॉक रजिस्टर में अन्तषेषः–	1038	506	480

/kkrqvksa dh tek fooj.kh&

धातुओं की स्थिति एवं अन्य अभिलेख अनुसार दिनांक 31.12.11 को धातुओं की जमा विवरणी निम्न प्रकार से रहीः–

¼d½ lkuk^&

fooj.k	fd0xk0	xk0	fe0xk0	fVIi.kh
गोल्ड ब्रान्ड मे जमा	13	256	820	(सोने की वित्तीय स्थिति के अनुसार जितनी मात्रा होनी चाहिए)
देवी देवताओं पर	02	785	140	
चेस्ट में जमा	13	460	165	
d|y ;kx	29	502	125	

¼[k½ pknh&

fooj.k	fd0xk0	xk0	fe0xk0
देवी देवताओं व भोग वर्तन में	70	767	690
चेस्ट में जमा	438	353	790
गृह को जारी	529	385	000
d|y ;kx	1038	506	480

7 n|dkuk@Hkouk d fdjk, d :i e ₹157881@&dk olyh gr| 'k"k ik;k tkuk&

किराए के मांग व प्राप्ति रजिस्टर की जांच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 31.12. 2011 तक ₹157881/–दुकानदारों/मकान के किराएदारों से वसूली जानी षेष थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

Ø0l0	fdjk,nkj dk uke	n|dku@edku	31-12-11 rd

			o lıyh ;kX; jkf’k
1	श्री बलदेव कुमार	दुकान	9434
2	श्री राज कुमार	दुकान	1332
3	श्री सुषील कुमार	दुकान	24015
4	श्री कुलजीत सिंह	दुकान	1559
5	श्री रमन ऋषि	दुकान	38648
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार	दुकान	3990
7	श्री संदीप कुमार	दुकान	885
8	श्री रमन ऋषि	दुकान	30115
9	क्षेत्रीय प्रबन्धक एच0पी0एम0सी0	खोखा लैण्ड	3413
10	श्री प्रकाषचन्द	दुकान	150
11	श्री महेष चन्द	दुकान	3900
12	श्री भूषण दत्त	दुकान	3200
13	श्री राम लाल	दुकान	450
14	श्री हरि चन्द	दुकान	150
15	श्री रवि षंकर	दुकान	1150
16	श्री माधो राम	दुकान	450
17	श्री विनय कुमार	दुकान	450
18	श्री प्रकाष चन्द	दुकान	450
19	श्री सोम नाथ	दुकान	450
20	श्री सम्बेद कुमार	दुकान	450
21	श्री खुषी राम, बेली राम	दुकान	511
22	श्री अभिषेक कुमार	दुकान	3000
23	श्री सन्त कुमार	दुकान	2156
24	श्री जगदीष चन्द	दुकान	450
25	श्री भवानी षंकर	दुकान	750
26	श्री राम नारायण	दुकान	2700
27	श्री सोम नाथ	मकान	675
28	श्री पदम चन्द	मकान	1800

29	श्री राम प्रसाद	मकान	2028
30	श्री खुषी राम, सोहन लाल	मकान	343
31	श्री बलवीर कुमार	मकान	6
32	श्रीमति केसरी देवी	मकान	5725
33	श्री जगदीष चन्द	मकान	846
34	श्री गोपाल दास	मकान	5050
35	श्री कुलदीप सैन	मकान	7200
		d|y tkM	157881

अतः उपरोक्त राषि की तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 vf/kd Hk|xrku ckj%&

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया हैः–

¼d½ वाउचर संख्या 23 दिनांक 23.04.11 की जांच करने पर पाया गया कि ₹1500/–का भुगतान मजदूरी व राषन की ढुलाई हेतु श्री रविन्द्र कुमार को किया गया है। उक्त भुगतान की वास्तविक भुगतान रसीद की जांच करने पर पाया जया कि यद्यपि रसीद पर ₹1500/–अंकित है लेकिन उसका आधा केवल ₹400/–लिखा गया है जिससे प्रतीत होता है कि केवल ₹800/–का भुगतान किया गया है। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई ₹700/–की वसूली करके मण्डी निधि में जमा की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ वाउचर संख्या 73 दिनांक 26.04.11 द्वारा भुगतान की गई ₹4922/–की जांच करने पर पाया गया कि माह 2/11 व 3/11 का टेलीफोन नं0 265073 का बिल जिसका विलम्ब षुल्क के बिना ₹4822/–का भुगतान किया जाना था परन्तु कार्यालय द्वारा बिल को देरी से जमा करने पर कुल ₹4922/–का भुगतान किया गया है जो कि उचित नहीं था। आडिट द्वारा

आपति उठाने पर ₹100/– राषि सम्बन्धित वसूल करके रसीद संख्या 20379 दिनांक 16.6.12 द्वारा जमा करवा दी गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि बिजली पानी व टेलीफोन के बिलों के भुगतान को समय पर किया जाए तथा उक्त अनियमितता को न दोहराया जाए।

9 lkeku dh LVkWd izfof"V;ksa ls lEcfU/kr vfu;ferrk,¡&

अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास द्वारा क्रय किए सामान की स्टॉक प्रविष्टियों के बारे में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई थी जिसके अभाव में मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त सामान की पुष्टि नहीं की जा सकीं। अतः स्टॉक प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन मदों की यथाषीध्र प्रविष्टि करके अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

ekg@okS0la0	QeZ@0;kikjh dk uke	jkf'k	fooj.k
4/11	मै0आर मिश्रा एंड सन्ज उतर प्रदेष	दान स्वरूप	30 लीटर रोज वाटर
41 4/11	मै0 मुन्ना कोल डिपो कांगड़ा	800	2 बैग कोयला

¼[k½ इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या 5 दिनांक 5.4.11 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मै0 अषोक कुमार से उनके बिल संख्या 519 दिनांक 12.02.11 के अन्तर्गत ₹380/–की 20 कि0ग्राम सूजी खरीदी है परन्तु उक्त खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पेज 152 दिनांक 8.02.11 को खरीद से पहले ही कर ली गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः खरीद से पहले ही स्टॉक प्रविटि करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼x½ वाउचर संख्या 93 माह 4/11 की जांच करने पर पाया गया कि खाद्य आपूर्ति निगम के बिल संख्या 0064068 दिनांक 10.03.11 द्वारा कुल 20 कि0ग्रा0 सूजी ₹19/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से खरीदी गई परन्तु स्टॉक में केवल 19 कि0ग्रा0 की प्रविष्टि दर्षाई गई है। आडिट द्वारा आपति उठाने पर मन्दिर प्रषासन द्वारा रसीद संख्या 20373 दिनांक 13.6.11 द्वारा ₹19/–की

सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके जमा करवा दी गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां न दोहराई जाए।

10 fuekZ.k%&

कार्य का नाम	C/O Preleminated sheets & roping from Nehru Chowk to Mata Brajeshwari temple
निर्धारित लागत	₹5201770 / —
अनुबन्ध नं0	79 BDT
संविदाकार का नाम	श्री वतन कुमार (वीरता)
आवार्ड सं0	1506 दिनांक 18.08.10 (28.23% above)

उक्त कार्य की जांच के उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः—

¼d½ मन्दिर न्यास द्वारा कार्य को अवार्ड करने से पूर्व Justification नहीं बनाई गई है जो कि एक गम्भीर अनियमितता क्योंकि इसके बिना यह पता लगाना सम्भव नही है कि जो दरे संविदाकार की दी गई है वह न्यायोचित है अथवा नहीं। अतः Justification को न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में इसे बनाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ उक्त षीर्ष से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 71 के पृष्ठ 17—20, माप पुस्तिका संख्या 73 के पृष्ठ 7, माप पुस्तिका संख्या 77 के पृष्ठ 1—5 में जो प्रविष्टियां दर्ज है उनको सहायक अभियन्ता द्वारा Test Check नहीं किया गया है जो कि निर्धारित माप दण्डों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अतः इस औपचारिकता को अब पूरा किया जाए व भविष्य में प्रत्येक कार्य का Test Check करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ इस कार्य के निर्माण के लिए सीमेन्ट ठेकेदार द्वारा अपने स्त्तर पर खरीद कर प्रयोग में लाया गया था जिसका विभाग द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा था और न ही सीमेन्ट उपयोगिता विवरणी बनाई गई जिसके अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि निर्माण के लिए सीमेन्ट उपयुक्त मात्रा में प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। अतः भविष्य में उपयोगिता विवरणी एवं सीमेन्ट, स्टील की खरीदी गई मात्रा के बिल ठेकेदार से लेने सुनिष्चित किए जाएं।

¼?k½ माप पुस्तिका 77 के पृष्ठ 7 पर वर्णित मद संख्या 12 (Painting two coat on steel work) की रिकर्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि इस मद की मात्रा 833.56 Sqmtrs ली गई है जबकि गणना उपरान्त इस मद की वास्तविक मात्रा 788.09 Sqmtrs पाई गई। अतः 45. 47 Sqmtrs की मात्रा का ठेकेदार को ₹1591 अधिक भुगतान किया गया जिसे ठेकेदार से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼3½ उक्त कार्य पूरा करने के पश्चात "Deviation Statement" नहीं बनाई गई है जो कि एक अनियमित है। अतः "Deviation Statement" बनाकर इसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी से करवाना जाना सुनिष्चित किया जाए।

11 कार्य का नाम Special Repair work E1 work in BDT Sub Head Providing E-1

निर्धारित लागत ₹560000/–

संविदाकार का नाम श्री मणि लाल कांगड़ा

आवार्ड पत्र सं0 1606, दिनांक 20.9.10

Bdnkj dk 5700@&dk vf/kd Hkqxrku%&

उक्त कार्य की माप पुस्तिका 77 के पृष्ठ 19 पर मद संख्या 12 की जांच करने पर पाया गया कि ठेंकेदार को 285 mtr तार की मात्रा का भुगतान ₹514/–की दर से ₹146490/–किया गया जबकि यह भुगतान ₹494/–की दर से ₹140790/–का किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ठेकेदार को ₹146490–₹140790=₹5700/–को अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹5700/–को ठेकेदार से वसूल करके मन्दिर निधि मे ंजमा किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाना जाना सुनिष्चित किया जाए।

12 कार्य का नाम C/O गौ सदन

अनुबन्ध नं0 78/2010

आवार्ड नं0 914–18 दिनांक 3.06.10

संविदाकार श्री रंजीत षर्मा (कांगड़ा)

प्रीमियम 82.85% above

उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका नं0 71 के पृष्ठ 11 पर मद संख्या 8 की जांच करने पर पाया गया कि इस मद की कुल मात्रा 806.03m^2 दर्षाई गई जबकि ठेकेदार के अन्तिम

बिल में माप पुस्तिका 70 के पृष्ठ 72 पर इस मद की मात्रा को 817.25m^2 अग्रेषित किया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को 11.22m^2 का ₹85/–की दर से ₹954/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस राषि को ठेकेदार से वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

13 xkS lnu ds fuekZ.k ij ₹2795000@&[kpZ djus ij Hkh bldk iz;ksx u djus ckjs%&

मन्दिर प्रषासन द्वारा गौ सदन के निर्माण पर ₹2795000/–खर्च की गई है परन्तु गौ सदन का कोई 1½ वर्ष से कार्य सम्पन्न होने पर भी आज दिन तक गौ सदन को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है जों कि उचित नहीं है। अतः उक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट किा जाए।

14 dkykrhr tekur ₹32986 dks tCr djds efUnj U;kl ds [kkrs esa tek u djus ckjs%&

मन्दिर न्यास के व्यय रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मन्दिर प्रषासन के पास ठेकेदारों की जमानत राषियां पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जमा है व "CPWD Work Manual" के नियम 21.7 के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न होने के तीन वर्ष तक यदि कोई ठेकेदार इस प्रकार की जमानत राषियां वापिस लेने के लिए दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो इन कालातीत जमानत राषियों को जब्त करके सम्बन्धित संस्था के खाते में जमा कर दी जाएगी। अतः संस्था स्तर पर जांच करके इन कार्यो की जमानत राषियों को नियमानुसार जब्त करके मन्दिर निधि मे ंजमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

Ø0 l0	dk;Z dk uke	Bsdsnkj dk uke	eki iqfLrdk	dk;Z lekfIr frfFk	jkf'k
1	Brass Baricating System in Temple complex	श्री तरूण गुप्ता	63 पेज 13–16 प्रथम बिल	13.3.08	19522
2	-do- Agriment No. 70/2008	–यथोपरि–	अन्तिम बिल	–यथोपरि–	10650

			पेज 18		
3	C/O staff Quarter for employee Temple	श्री राजीव चौधरी	63 पेज 34	12.6.08	2814
				tkM	₹32986

15 lUVªy iwy gsrq ₹350000@& tkjh djus ckjs&

अंकेक्षण द्वारा जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा ₹350000/—चैक संख्या 140378 दिनांक 10.3.11 द्वारा सैन्ट्रल पूल के तहत आयुक्त मन्दिर को भी गई है जबकि मन्दिर अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस प्रकार मन्दिर न्यास से ₹3.5 लाख स्थानातरित करने का नियमों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस राषि को वसूल करके मन्दिर निधि मे ंवापिस जमा किया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

16 y/kq vkifÙk foojf.kdk& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 fu"d"kZ& लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवष्यकता केवल रोकड़ वही का रख—रखाव सन्तोषजनक पाया गया।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)192/97 खण्ड—5 दिनांक, षिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

iz`"Bkafdr&1- मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास की माता बज्रेष्वरी देवी जी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिष्चित करे।

2. प्रधान सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला—2

3 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मषाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 निदेषक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 षिमला–9

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.